तीन बनाम बाबूखां वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र मुकदमा नं. 86/2021

क्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
7/2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की पुश्तैनी तथा सहखातेदारी की भूमि ग्राम आंवलियासर तहसील में खसरा नं. 144 रकबा 10.6918 हैक्टैयर, खसरा नं. 46/2 रकबा 10.3842 हैक्टैयर के रूप में स्थित है। जिसमें पक्षकरान 1/11 – 1/11 हिस्से के सहखातेदार दर्ज है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त है। उक्त खेतायो की भूमि का मौके पर भौतिक विभाजन नहीं हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 3 से 9 ने अपना हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिये जाने पर कुछ दिनो से अप्रार्थी संख्या 1 नाराज चल रहा है तथा मात्र खातेदारी में नाम होने से खेताय की भूमि का बैचान करके खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अविभाजित भूमि में से हिस्सा विशेष की भूमि का बैचान अन्य व्यक्ति को कर देता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि मुतदाविया खेतायों की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करे तथा ना ही किसी प्रकार दस्तावेज पंजीयन करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त भूमि आवंलियासर तहसील जायल के खसरा नं. 144 व 46/2 की सहखातेदारी की भूमि है जिसका भोतिक विभाजन नहीं हो रखा है। यदि विवादग्रस्त सहखातेदारी की भूमि में से हिस्सा विशेष की भूमि का खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बैचान, हस्तान्तरण तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना प्रतीत होती तथा मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन के बिन्दू भी प्रार्थीनी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को ग्राम–आवंलियासर तहसील जायल के खसरा नं. 144, 46/2 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने बाबत जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण जरिये सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक 24.08.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
24/8/21	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पन्नालाल शर्मा पेश हो चुके है। अप्रार्थी सं. 10, 11, 12 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त नहीं हो। मिसल वास्ते दीगर कार्यवाही हेतु दिनांक 15/9/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर	

Scanned with CamScanner

15/9/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाप उप०। जवाब हेतु समय चाहते है। जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब तलबी + जवाब हेतु दिनांक 17-11-21 को पेश हो।

17.11.21 पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाप उप०। वकील प्रतिवादी [struck through] रामनिवास की ओर से प्रार्थना पत्र O.1 R.10 मय शपथ पत्र पेश जो शामिल पत्रावली है, जिसकी [struck through] प्रति वकील वादी को दिलाई गई पत्रावली वास्ते जवाब व बोध की तलबी हेतु दिनांक 27.1.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

3/1/22 पत्रावली वकील वादी [struck through] पत्रावली रिकॉर्ड पर लेकर खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र

अमरसिंह एवं [illegible] रही प्रार्थना पत्र के तहत किया गया की पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है और पत्रावली को आगे नहीं चलाने चाहते।

रामेश्वर

अतः पत्रावली मे पक्षकारान आगे कार्यवाही नहीं चाहते एवं पत्रावली खारिज करना चाहते है। इसी कारण पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज होकर बिलोकन [illegible] से दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल